

१०. विअविअ प्रारूप विअ- ३

प्रारूप विअ-३

नियम ४(क) देखिए

३१ मार्च _____ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विदेशी अभिदाय का लेखा :-

१. सङ्गम का विवरण

नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)

(ii) पञ्जीकरण संख्याङ्क एवं तिथि

[विअविअ अधिनियम, १९७६ के अधीन]:.....

(iii) यदि पञ्जीकृत नहीं है तो पूर्व अनुज्ञा का संख्याङ्क तथा तिथि

.....

(iv) सङ्गम की प्रकृति : १. सांस्कृतिक

२. आर्थिक

३. शैक्षिक

४. धार्मिक

५. सामाजिक

(v) धार्मिक सङ्गम की दशा में पन्थ :

(क) हिन्दू

(ख) सिख

(ग) मुस्लिम

(घ) इसाई

(ङ) बौद्ध

(च) अन्य

१क. (i) वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की कुल रकम :

.....

(ii) वर्ष के दौरान विदेशी अभिदाय पर अर्जित ब्याज,-

(क) नामनिर्दिष्ट बैंक खाते में :

.....

(ख) वर्ष में या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान किए गए विनिधान पर (स्थायी निक्षेप, प्राप्त इत्यादि) :

.....

२. प्रयोजन जिनके लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त और उपयोग किया गया :

क्रम संख्या	प्रयोजन	पूर्व अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ					उपयोग		अतिशेष	
				पहले प्राप्तिकर्ता के रूप में		दूसरे/ पश्चात्पूर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में		योग				
		रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	(५+६+७+८)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१.	राष्ट्रीय घटनाओं (स्वतन्त्रता / गणतन्त्र दिवस) उत्सवों आदि का मनाना ।											
२.	थियेटर / सिनेमा ।											
३.	ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का रखरखाव ।											
४.	पुरातत्वीय / जन- जातीय कला रूपों का परिरक्षण ।											
५.	अनुसन्धान ।											
६.	सांस्कृतिक प्रदर्शन ।											

क्रम संख्या	प्रयोजन	पूर्व अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ					उपयोग		अतिशेष		
				पहले प्राप्तिकर्ता के रूप में		दूसरे/ पश्चात्वर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में		योग					
		रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	(५+६+७+८)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
७.	हस्तकला केन्द्र / कुटीर तथा खादी उद्योग / सामाजिक वन विकास परियोजनाओं को स्थापित करना और चलाना ।												
८.	पशु पालन परियोजनाएं ।												
९.	आय जनन परियोजनाएं / योजनाएँ ।												
१०.	सूक्ष्म - वित्त परियोजनाएं, इसमें वैङ्ककारी सहकारी सङ्गठन और स्वयं-सहायता समूहों का स्थापित किया जाना भी है ।												
११.	कृषि क्रियाकलाप ।												
१२.	ग्रामीण विकास ।												

क्रम संख्या	प्रयोजन	पूर्व अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ					उपयोग		अतिशेष		
				पहले प्राप्तिकर्ता के रूप में		दूसरे/ पश्चात्वर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में		योग					
		रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	(५+६+७+८)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१३.	विद्यालय / महाविद्यालय का सन्निर्माण और अनुरक्षण।												
१४.	निर्धन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का सन्निर्माण और चलाना।												
१५.	निर्धन / योग्य बालकों को नकद और वस्तु रूप में वृत्तिका / छात्रवृत्ति सहायता का अनुदान।												
१६.	शैक्षिक सामग्री का क्रय और प्रदाय - पुस्तकें, नोटबुकें आदि।												
१७.	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन।												
१८.	मानसिक रूप से आक्षेपित व्यक्तियों के लिए शिक्षा / विद्यालय।												

क्रम संख्या	प्रयोजन	पूर्व अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ					उपयोग		अतिशेष		
				पहले प्राप्तिकर्ता के रूप में		दूसरे/ पश्चात्वर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में		योग					
		रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	(५+६+७+८)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१९.	अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाएँ / कोचिंग कक्षाएँ।												
२०.	पूजा स्थलों का सन्निर्माण / मरम्मत / रखरखाव।												
२१.	पुजारियों और प्रचारकों के धार्मिक विद्यालय / शिक्षा।												
२२.	धार्मिक साहित्य का प्रकाशन और वितरण।												
२३.	धार्मिक समारोह।												
२४.	पुजारियों / प्रचारकों / अन्य धार्मिक कृत्यकारियों का रखरखाव।												
२५.	अस्पताल / औषधालय / क्लिनिक का सन्निर्माण / चलाना।												
२६.	सामुदायिक भवनों आदि का सन्निर्माण।												
२७.	वृद्धावस्था गृहों का सन्निर्माण और प्रबन्ध।												

क्रम संख्या	प्रयोजन	पूर्व अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ					उपयोग		अतिशेष		
				पहले प्राप्तिकर्ता के रूप में		दूसरे/ पश्चात्वर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में		योग					
		रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	(५+६+७+८)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
२८.	वृद्धों / विधवाओं का कल्याण ।												
२९.	अनाथालय का सन्निर्माण और प्रबन्ध ।												
३०.	अनाथों का कल्याण ।												
३१.	धर्मशाला / शरणस्थल का सन्निर्माण और प्रबन्ध ।												
३२.	निःशुल्क चिकित्सा / स्वास्थ्य / परिवार कल्याण / प्रतिरक्षण शिविरो का लगाना ।												
३३.	निःशुल्क औषधि और चिकित्सीय सहायता का प्रदाय, जिसमें श्रवण सहायकों, दृश्य सहायकों, परिवार नियोजन सहायकों आदि का प्रदाय भी सम्मिलित है ।												

क्रम संख्या	प्रयोजन	पूर्व अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ					उपयोग		अतिशेष		
				पहले प्राप्तिकर्ता के रूप में		दूसरे/ पश्चात्वर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में		योग					
		रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	(५+६+७+८)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
३४.	सहायकों जैसे कि ट्राइसाइकिल, कैलिपर आदि विकलांगों को दिया जाना।												
३५.	कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार / पुनर्वासन।												
३६.	मादक द्रव्य के व्यसनियों का उपचार / पुनर्वासन।												
३७.	महिलाओं का कल्याण / सशक्तिकरण।												
३८.	बाल-कल्याण।												
३९.	निर्धनों, दरिद्रों और निःसहायों को निःशुल्क वस्त्र / भोजन दिया जाना।												
४०.	प्राकृतिक आपदाओं के शिकारों को राहत / पुनर्वासन।												
४१.	बलवों / अन्य विघनों के शिकारों को सहायता।												

क्रम संख्या	प्रयोजन	पूर्व अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ					उपयोग		अतिशेष		
				पहले प्राप्तिकर्ता के रूप में		दूसरे/ पश्चात्वर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में		योग					
		रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	(५+६+७+८)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
४२.	वेदित कुंओं का खोदा जाना ।												
४३.	स्वच्छता जिसमें सामुदायिक शौचालय आदि भी हैं ।												
४४.	व्यावसायिक प्रशिक्षण-सिलाई-कटाई, मोटर मरम्मत, कम्प्यूटर आदि ।												
४५.	चेतना शिविर / गोष्ठी / कार्यशाला / अधिवेशन / सम्मेलन ।												
४६.	निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना / विधिक सहायता-केन्द्र चलाना ।												
४७.	खेलकूद अधिवेशन करना ।												
४८.	एड्स के संबंध में चेतना / एड्स पीड़ित व्यक्तियों का उपचार और पुनर्वासन ।												

क्रम संख्या	प्रयोजन	पूर्व अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ					उपयोग		अतिशेष		
				पहले प्राप्तिकर्ता के रूप में		दूसरे/ पश्चात्वर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में		योग					
		रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	(५+६+७+८)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
४९.	शारीरिक और मानसिक रूप से आक्षेपित व्यक्तियों का कल्याण ।												
५०.	अनुसूचित जाति कल्याण ।												
५१.	अनुसूचित जन-जाति कल्याण ।												
५२.	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण ।												
५३.	पर्यावरणीय कार्यक्रम ।												
५४.	सामाजिक-आर्थिक तथा अन्य कल्याण कार्यक्रमों का सर्वेक्षण ।												
५५.	स्थापन व्यय : -												
	(i) आस्ति भवन:												
	(क) काय निधि का स्थापन, और												
	(ख) भूमि का क्रय;												

क्रम संख्या	प्रयोजन	पूर्व अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ					उपयोग		अतिशेष	
				पहले प्राप्तिकर्ता के रूप में		दूसरे/ पश्चात्वर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में		योग				
		रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	(५+६+७+८)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
	(ii) कार्यालय, प्रशासनिक और अन्य भवनों का सन्निर्माण / विस्तारण / रखरखाव;											
	(iii) वेतन / मानदेय का संदाय;											
	(iv) समाचार-पत्र / साहित्य / पुस्तकों आदि का प्रकाशन;											
	(v) अन्य व्यय ।											
५६.	ऊपर वर्णित से भिन्न अन्य क्रिया कलाप (ब्यौरा दीजिए) ।											

क्रम संख्या	प्रयोजन	पूर्व अतिशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ					उपयोग		अतिशेष	
				पहले प्राप्तिकर्ता के रूप में		दूसरे/ पश्चात्वर्ती प्राप्तिकर्ता के रूप में		योग				
		रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	(५+६+७+८)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)	रोकड़ में	वस्तु रूप में (मूल्य)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
	योग											

चेतावनी:- गलत जानकारी देने या सारवान तथ्य छुपाने पर विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ के सुसंगत उपबन्धों के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी।

३. नामनिर्दिष्ट बैंक की शाखा का नाम और पता तथा खाता संख्या (पञ्जीकरण / पूर्व) अनुज्ञा के लिए आवेदन में या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित में यथा विनिर्दिष्ट।

खाता संख्या

बैंक :

शाखा :

पता :

..... पिन

क्रम संख्या	संस्थागत / व्यक्ति / अन्य दाता	नाम तथा पता (ते)	प्रयोजन	प्राप्ति की तिथि तथा मास	राशि (रुपये में)
१	२	३	४	५	६

(ii) एक लाख रुपये से अधिक देने वाले व्यक्ति दाता

(iii) एक लाख रुपये से कम देने वाले व्यक्ति दाता (केवल स्तम्भ ४ एवं स्तम्भ ६ भरें)

योग

५. विदेशी अभिदाय की देशवार प्राप्तियाँ

क्रम संख्या	देश का नाम	राशि (रुपये में)
१	२	३

१.

२.

३.

४.

५.

योग

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियाँ सत्य और सही हैं। मैं यह भी प्रतिज्ञान करता हूँ कि विदेशी अभिदाय का उसी प्रयोजन (उन्हीं प्रयोजनों) के लिए उपयोग किया गया है जिसके (जिनके) लिए सङ्गम को पञ्जीकृत किया गया है / पूर्व अनुज्ञा ली गई है। मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार किसी तथ्य को न छुपाया है और न ही दबाया है।

स्थान :

मुख्य कृत्यकारी के हस्ताक्षर

तिथि :

(मुख्य कृत्यकारी का नाम तथा सङ्गम की मुहर)

(शासपत्रित लेखापाल द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

मैंने / हमने.....
.....
.....(सङ्गम का नाम तथा पूरा पता जिसके अन्तर्गत राज्य, जिला तथा पिनकोड भी है, यदि पञ्जीकृत सोसायटी है तो उक्त पञ्जीकरण संख्याङ्क और पञ्जीकरण का राज्य भी है), ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं की संपरीक्षा की है, और सभी सुसङ्गत बहियों तथा प्रमाणकों की जाँच की है तथा प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि संपरीक्षित लेखाओं के अनुसार :-

१. ----- वर्ष के आरम्भ में अग्रणीत विदेशी अभिदाय ----- रुपये था ।
२. ----- वर्ष के दौरान सङ्गम ने ----- रुपये का विदेशी अभिदाय प्राप्त किया ।
३. ----- वर्ष की समाप्ति पर सङ्गम के पास अनुपयोजित विदेशी अभिदाय का अतिशेष ----- रुपये था ।
४. प्रमाणित किया जाता है कि सङ्गम के विदेशी अभिदायों के लेखा और उससे सम्बन्धित अभिलेख विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ के नियम ८(१) के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ की धारा १३ में विनिर्दिष्ट रीति में रखे गए हैं ।
५. इस प्रमाणपत्र और संलग्न तुलन-पत्र और प्राप्ति तथा संदाय का विवरण मेरी / हमारी जाँच के अनुसार सही है ।

स्थान _____

दिनांक _____

शासपत्रित लेखापाल के हस्ताक्षर
उनकी मुहर, पता तथा पंजीकरण संख्यांक सहित

११. विअविअ प्रारूप विअ- ५

प्रारूप विअ- ५

[नियम ४(ग) देखिए]

किसी विदेशी स्रोत से छात्रवृत्ति, वृत्तिका या किसी प्रकार के किसी अन्य संदाय की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय सरकार की संसूचना

[विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ की धारा ७(१) तथा ७ (२)]

१. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
२. जन्म तिथि
३. पिता का नाम
४. वर्तमान पता

५. स्थायी पता

६. पासपोर्ट-विशिष्टियाँ
७. उपजीविका / व्यवसाय का विनिर्दिष्ट विवरण
८. उस विदेशी स्रोत की विशिष्टियाँ जिससे छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार का कोई अन्य संदाय प्राप्त हुआ :-
 - (क) यदि व्यष्टि है तो, उसकी व्यक्तिगत विशिष्टियाँ जिस में नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, राष्ट्रीयता तथा व्यवसाय सम्मिलित हैं :
 - (ख) यदि कोई सङ्गठन / संस्था / सङ्गम / न्यास / प्रतिष्ठान / ट्रेड यूनियन, आदि हैं तो उनकी निम्नलिखित सहित पूर्ण विशिष्टियाँ :-

(i) पूरा नाम और पूरा पता

(ii) मुख्य / प्रधान कार्यालय का पता

(iii) लक्ष्य और उद्देश्य

(iv) महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की विशिष्टियाँ :

९. विदेशी स्रोत से प्राप्त छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार के किसी अन्य संदाय की प्रकृति और पूर्ण विवरण --

(क) कुल राशि और विभिन्न शीर्षों जैसे- यात्रा व्यय, उपस्कर, वस्त्र, मरम्मत, शिक्षा-शुल्क, आवास-शुल्क, पुस्तकें आदि के अन्तर्गत पृथक-पृथक और कुल रकम तथा

(ख) प्राप्ति की विधि / प्रणाली ।

१०. छात्रवृत्ति, वृत्तिका या इसी प्रकार के किसी अन्य संदाय का प्रयोजन तथा उन पाठ्यक्रमों के विनिर्दिष्ट विवरण जिनमें उपस्थित रहा / उपस्थित होना है ।

११. विदेश में रुकने की अवधि, तिथियों सहित

१२. कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो आवेदक देना चाहे ।

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त विशिष्टियाँ सत्य तथा ठीक हैं ।

स्थान: _____

तिथि: _____

अवेदक के हस्ताक्षर

१२. विअविअ प्रारूप विअ-६

प्रारूप विअ-६
[नियम ८(१)(क) देखें]

विदेशी अभिदाय (वस्तु) लेखा

वस्तुओं का वर्णन _____

प्राप्ति							उपयोजन / व्ययन								
तिथि	उस व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे प्राप्त की	प्राप्ति की विधि	प्राप्ति का प्रयोजन	प्राप्त मात्रा	प्राप्त वस्तुओं का अनुमानित मूल्य	केन्द्रीय सरकार को संसूचित करने की तिथि	तिथि	उस व्यक्ति का नाम तथा पता जिसे दी गई, विक्रय की गई या अन्यथा अन्तरित की गई।	प्रयोजन जिसके लिए दी गई या अन्यथा अन्तरित की गई।	मात्रा			यदि विक्रय की गई तो कितनी रकम में	विदेशी अभिदाय (मुद्रा) लेखा में प्रविष्टि के प्रति निर्देश	गुणवत्ता
										सङ्गठन द्वारा उपयोजित की गई।	विक्रय की गई	अन्यथा अन्तरित			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई पूर्वोक्त विशिष्टियाँ सत्य और ठीक हैं।

हस्ताक्षर:

१३. विअविअ प्रारूप विअ- ८

प्रारूप विअ-८

(नियम ३-क देखिए)

कोई निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, या सामाजिक कार्यक्रम रखने वाले सङ्गम द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास पञ्जीकरण कराने के लिए आवेदन का प्रारूप।

संख्या _____

दिनांक _____

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
गृह मन्त्रालय,
लोक नायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली- ११० ००३

विषय : विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ के अधीन पञ्जीकरण के लिए आवेदन।

महोदय,

मैं, इसमें इसके पश्चात् नामित सङ्गम की ओर से अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए पञ्जीकरण के लिए आवेदन करता हूँ।

१. (i) सङ्गम का नाम और पत्र-व्यवहार का पूरा पता :

नाम:

पता:

शहर / नगर:

जिला:

राज्य:

पिन कोड:

(ii) क्या सङ्गम एक पञ्जीकृत न्यास अथवा सोसायटी है, कृपया इसके निम्नलिखित उपदर्शित करें :-

(१) पञ्जीकरण संख्यांक

(२) पञ्जीकरण स्थान

(३) पञ्जीकरण की तिथि

(पञ्जीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(iii) संगम की प्रकृति:

(क) धार्मिक

(ख) सांस्कृतिक

(ग) आर्थिक

(घ) शैक्षिक

(ङ) सामाजिक

टिप्पणी: यदि धार्मिक संगम है तो बताएँ क्या यह :

(क) हिन्दू

(ख) सिख

(ग) मुस्लिम

(घ) इसाई

(ङ) बौद्ध

(च) अन्य हैं

(iv) कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें :-

(क) सङ्गम के मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य

(सङ्गम ज्ञापन और / या सङ्गम अनुच्छेद की प्रति, यदि लागू है तो संलग्न करें);

(ख) मुख्य उद्देश्य तथा निश्चित कार्यक्रम जिसके लिए विदेशी अभिदाय स्वीकार / उपयोग किया जाना है।

(v) कृपया सङ्गम की कार्यपालक समिति/ शासी परिषद इत्यादि के सदस्यों जिनमें मुख्य कृत्यकारी भी सम्मिलित है का नाम तथा पता निम्नलिखित रीति में बताएँ :

क्रम संख्या.	नाम	पिता / पति का नाम	राष्ट्रीयता	व्यवसाय	सङ्गम में धारित पद यदि कोई है।	अन्य पदधारियों के साथ सम्बन्ध, यदि कोई है।	पता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१							
२							
३							
४							
५							
६							
७							

२. कृपया उपदर्शित करें कि क्या कार्यपालक समिति/ शासी परिषद इत्यादि का कोई सदस्य जिसमें मुख्य कृत्यकारी भी सम्मिलित है, अपने शासकीय कृत्यों के निर्वहन में -

- विधि के किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया;
- उसके विरुद्ध किसी अपराध के लिए अभियोजन लम्बित है;
- पहले सङ्गम या किसी अन्य सङ्गम की निधि के उपयोजन या दुरुपयोग के लिए दोषी पाया गया है ?

३. कृपया उपदर्शित करें कि क्या आवेदक सङ्गम विदेश स्थित किसी सङ्गठन या अधिनियम के अधीन पहले से ही पञ्जीकृत किसी अन्य सङ्गम की शाखा / ईकाई / सहयोगी है ? यदि ऐसा है तो मूल सङ्गठन का नाम तथा पता बताएँ :

४. कृपया उपदर्शित करें कि -

(i) क्या सङ्गम -

(क) को पहले अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई थी। यदि ऐसा है तो, पूर्व अनुज्ञा प्रदान करने वाले पत्र का संख्याङ्क तथा दिनांक बताएँ।

(ख) ने ऊपर प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा उपयोग का लेखा विहित प्रारूप में केन्द्रीय सरकार को भेज दिया था। यदि ऐसा है तो, लेखा जमा कराने की तिथि बताएँ ;

(ii) क्या,-

(क) सङ्गम ने पहले अधिनियम के अधीन पूर्व अनुज्ञा के बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार किया है। यदि ऐसा है तो, प्राप्त किये गए विदेशी अभिदाय की पूर्व विशिष्टियाँ, बैङ्क की शाखा का पता और बैङ्क खाता संख्याङ्क जिसमें जमा कराया गया, लिखा जाना चाहिए ;

(ख) उक्त अतिक्रमण केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है ;

(ग) सङ्गम को अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है ?

५. कृपया उपदर्शित करें कि क्या सङ्गम किसी ऐसे प्रकाशन के, जिसका प्रेस और पुस्तक पञ्जीकरण अधिनियम, १९६७ के अधीन "समाचार पत्र" के रूप में पञ्जीकरण अपेक्षित है, सम्पादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक के रूप में कृत्य कर रहा है ?

६. कृपया उपदर्शित करें कि -

(१) क्या सङ्गम ने कभी विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ के अधीन पञ्जीकरण के लिए आवेदन किया था, यदि ऐसा है तो,

(क) पञ्जीकरण के लिए आवेदन पेश करने की तिथि ;

(ख) मन्त्रालय से प्राप्त अन्तिम संसूचना का, यदि कोई है, संख्याङ्क तथा तिथि ;

(ग) क्या पञ्जीकरण नामंजूर किया गया था ;

(घ) क्या पञ्जीकरण के लिए आवेदन अभी तक लम्बित है।

(२) क्या सङ्गम के किसी ऐसे अन्य सङ्गम या उसकी इकाई या शाखा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, जिसे-

(क) अधिनियम के अधीन पञ्जीकरण नामंजूर किया गया है ;

(ख) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया है।

७. कृपया निम्नलिखित बताएँ-

(i) सङ्गम के पिछले तीन वर्षों के क्रियाकलापों के व्यौरे ;

(ii) सङ्गम के पिछले तीन वर्ष के संपरीक्षित लेखा विवरणों की प्रतियाँ ;

(iii) कार्य करने के क्षेत्र (क्षेत्रों) के व्यौरे।

८. कृपया उपदर्शित करें कि क्या सङ्गम को अधिनियम की धारा ५ के अधीन राजनैतिक प्रकृति वाले सङ्गठन के, रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जो कि एक राजनैतिक दल नहीं है। यदि ऐसा है तो अधिसूचना के व्यौरे दें।

९. कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें-

(i) बैङ्क की उस शाखा का नाम और पता जिसके माध्यम से विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाएगा;

(ii) कृपया बैङ्क की उक्त शाखा में खाता संख्याङ्क विनिर्दिष्ट करें।

९ क. क्या सक्षम प्राधिकारी का सिफारिश पत्र संलग्न है। (हाँ / नहीं)

१०. कोई अन्य जानकारी जिसे सक्षम प्रस्तुत करना चाहे।

भवदीय,

मुख्य कृत्यकारी सक्षम के लिए और उसकी ओर से
(सक्षम का नाम)

घोषणा तथा वचनबन्ध

ऊपर नामित सक्षम प्रतिज्ञान करता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और वचनबन्ध करता है कि-

- (i) यदि सक्षम के नाम, पते, पञ्जीकरण, उसकी प्रकृति, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन की जानकारी, उस परिवर्तन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ, केन्द्रीय सरकार (गृह मन्त्रालय) को तीस दिन के भीतर दी जाएगी;
- (ii) यदि किसी समय विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ के अधीन पञ्जीकरण के लिए दिए गए आवेदन पत्र में उल्लिखित पदधारियों में ५० प्रतिशत या अधिक को बदला जाता है तो ऐसे पदधारियों को बदलने की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी और आगे वचनबन्ध करता है कि तब तक कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि पदधारियों को बदले जाने की अनुज्ञा मंजूर नहीं की जाती है;
- (iii) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना बैङ्क या बैङ्क की शाखा बदली नहीं जाएगी। बैङ्क या बैङ्क की शाखा को बदले जाने के सुसङ्गत तथा न्यायाचित कारण होंगे, तथा
- (iv) कोई विदेशी अभिदाय तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि पञ्जीकरण संख्याङ्क जिसके लिए ऊपर लिखित रूप में आवेदन किया गया है या विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ की धारा ६ की उपधारा (१क) के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली जाए।

(मुख्य कृत्यकारी)

सक्षम के लिए और उसकी ओर से
(सक्षम का नाम)

टिप्पण :-

- (i) पञ्जीकरण के लिए आवेदन की पावती, केन्द्रीय सरकार द्वारा पञ्जीकरण की मंजूरी की प्रतिबद्धता नहीं है;
- (ii) कोई अपूर्ण आवेदन अर्थात् उपेक्षित दस्तावेजों / ब्यौरों / स्पष्टीकरणों के बिना सरकारी तौर पर रद्द किया जा सकता है;
- (iii) यदि किसी स्तम्भ के सामने स्थान अपर्याप्त है तो पृथक से पन्ने संलग्न करें; और कृपया स्पष्ट अक्षर लिखें।

“प्रमाण-पत्र”

(आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)

- (१) यह प्रमाणित किया जाता है कि(संगम का नाम)
जिसका पंजीकृत कार्यालय (पता) में है,
गत..... वर्षों से (राज्य) के (जिले) में आर्थिक,
शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक* क्रियाकलाप में लगा हुआ है।
- (२) इसने उक्त क्षेत्र में कल्याणकारी क्रियाकलाप किए हैं और अपने चयनित (आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक) क्रियाकलाप के क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान.....रूप (रूपों में रकम) का व्यय उपगत किया है (प्रशासनिक व्यय को अपवर्जित करते हुए)।
- (३) उक्त संगठन के पूर्ववृत्तों का सत्यापन कर लिया गया है और उसके प्रतिकूल कुछ नहीं है।
- (४) पूर्वोक्त संगम का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ के अधीन विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए पंजीकरण किए जाने की सिफारिश की जाती है।

(सिफारिशकर्ता प्राधिकारी)**

(मुद्रा सहित)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

** संबन्धित कोई भी –

- (१) उक्त जिले के जिलाधीश,
- (२) राज्य सरकार का विभाग,
- (३) भारत सरकार का मंत्रालय या विभाग।

ख) प्रतिकृति

१. कार्यक्रम बजट

लोक जागरण मञ्च

१-४-९८ से ३१-३-९९ तक की कालावधि के लिए 'शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम' के लिए कार्यक्रम बजट

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य	प्रत्येक क्रियाकलाप मद हेतु तर्क / युक्ति	प्रत्यक्ष हितग्राहियों की संख्या	ग्रामस्थान जहाँ कि क्रियाकलाप चलाई जायेगी	क्रियाकलाप की अवधि	बजट रेखा मद विवरण	बजट रेखा मद गणना	राशि (रुपये में)
१.	अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय	जन-जातीय समूह के बच्चों के लिए १२ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने हेतु। बच्चों को मूलभूत साक्षरता, सामान्य ज्ञान देने हेतु।	बच्चों को पढ़ाने हेतु। प्रत्येक अध्यापक छह घंटे काम करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापक रहेंगे। वरिष्ठ अध्यापकों को ज्यादा भुगतान किया जायेगा।	१५० बालिकाएँ; १७० बालक	१. जसीडीह २. हल्दिया ३. परसिद्धिया ४. जाजोरी ५. तेराहावी ६. कोलडीहा ७. जलालपुर ८. खपटीया	१२ माह	८ वरिष्ठ अध्यापकों को वेतन	१००० रुपये X ८ अध्यापक X १२ माह	९६,०००
२.	अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	६० बालिकाएँ; ८० बालक	१. चकराता २. खेकड़ा ३. जेवर ४. कोरवानी	१२ माह	४ नये अध्यापकों को वेतन	८५० रुपये X ४ अध्यापक X १२ माह.	४०,८००
३.	अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय	उपरोक्तानुसार	अधिक स्पष्ट ढंग से समझाने तथा चित्र इत्यादि दिखाने के लिए आवश्यक	२१० बालिकाएँ; २५० बालक	उपरोक्त १२ ग्राम	१२ माह के दौरान	अध्यापन सामग्री (श्याम पट्ट, रेखाचित्र इत्यादि)	५०० रुपये X १२ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	६,०००
४.	अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय	मिश्रित समुदाय सम्बन्धों को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ाना	जैसा कि बाल मेला प्रातः १० बजे से सायं ४ बजे तक चलेगा, बच्चों तथा आयोजनकर्ताओं को मध्यान्ह भोजन प्रदान किया जायेगा।	२१० बालिकाएँ; २५० बालक	जाजोरी में समुदायिक भूमि पर	१ दिन	बाल मेला हेतु भोजन इत्यादि	२० रुपये X ४५० बच्चे + १२ अध्यापक + १० अन्य	९,४४०
५.	अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय	उपरोक्तानुसार	पाक सामग्री इत्यादि हेतु यातायात व्यय। बच्चों को पुरस्कार दिया जायेगा।	२१० बालिकाएँ; २५० बालक	उपरोक्तानुसार	१ दिन	परिवहन, मंच, बाल मेला हेतु पुरस्कार	४,००० रुपये के लगभग	४,०००
अनौपचारिक शिक्षा							उप-योग		१५६,२४०
६.	स्वास्थ्य	१. लोगों को आधारभूत चिकित्सा सुविधा प्रदान करना २. आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग को बढ़ावा देना	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध नहीं है / क्षेत्र में कार्य नहीं करती। निजी चिकित्सा उपचार पहुँच से दूर है / खर्चीले हैं।	५० व्यक्ति X ३ बार X ६ ग्राम	१. जसीडीह २. हल्दिया ३. परसिद्धिया ४. जाजोरी ५. जलालपुर ६. खपटीया	१२ माह	८ वैद्य को वृत्तिका	१००० रुपये X ८ वैद्य X १२ माह	९६,०००

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य	प्रत्येक क्रियाकलाप मद हेतु तर्क / युक्ति	प्रत्यक्ष हितग्राहियों की संख्या	ग्रामस्थान जहाँ कि क्रियाकलाप चलाई जायेगी	क्रियाकलाप की अवधि	बजट रेखा मद विवरण	बजट रेखा मद गणना	राशि (रुपये में)
७.	स्वास्थ्य	रोग, जैसे कि पोलियो इत्यादि, को फैलने से रोकना	अनौपचारिक शिक्षा कक्षाओं में आने वाले बच्चों तथा उनके भाईयों / बहनों का टीकाकरण	५०० बच्चे	सभी १२ अनौपचारिक शिक्षा ग्राम	दो बार	शासकीय चिकित्सकों हेतु जीप	४५० रुपये X ४ दिन (३ ग्राम प्रतिदिन) X २ बार	३,६००
८.	स्वास्थ्य	आधारभूत स्वास्थ्य विज्ञान तथा पुनः उत्पादक स्वास्थ्य को बढ़ाना	स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिलाओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य जाँच, पोषण तथा जन्म नियन्त्रण के बारे में सूचित तथा प्रेरित करेंगे	३० महिलाएँ X ६ ग्राम	६ ग्राम से अधिक	१२ माह	३ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वेतन	५०० रुपये X ३ कार्यकर्ता X १२ माह	१८,०००
स्वास्थ्य							उप-योग		११७,६००
९.	प्रशासन	कार्यक्रम समन्वय	परियोजना प्रबन्धक कार्यक्रम समन्वय तथा अनुवीक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।	लागू नहीं	पिलखुआ कार्यालय पर स्थित। सभी १२ ग्राम को सम्मिलित करेगा	१२ माह	परियोजना प्रबन्धक का वेतन	३,००० रुपये X १२ माह	३६,०००
१०.	प्रशासन	निधि की लेखादेयता	लेखाकार लेखाङ्कन करेंगे तथा दातव्य संस्था को प्रतिवेदन प्रदान करेंगे। अन्य खातों की भी देख-रेख करेंगे।	लागू नहीं	पिलखुआ कार्यालय पर स्थित।	१२ माह	लेखाकार को वेतन (अनुभाजित)	१,००० रुपये X १२ माह	१२,०००
११.	प्रशासन	कार्यक्रम तथा कार्यालय समन्वय	पत्र-व्यवहार तथा प्रतिवेदन हेतु आवश्यक	लागू नहीं	पिलखुआ कार्यालय पर	१२ माह	डाक तथा लेखन सामग्री	३०० रुपये X १२ माह	३,६००
१२.	प्रशासन	निधि की लेखादेयता	दातव्य संस्था के निधि हेतु अङ्केक्षण प्रतिवेदन प्रदान करने के लिए	लागू नहीं	मुख्य कार्यालय पर	वर्ष में एक बार	अङ्केक्षक का शुल्क	१,५०० रुपये X एक बार	१,५००
प्रशासन							उप-योग		५३,१००

बजट सारांश

अनौपचारिक शिक्षा

रुपये प्रतिशत

१५६,२४० ४८

स्वास्थ्य

११७,६०० ३६

प्रशासन

५३,१०० १६

योग

३२६,९४० १००

२. लेखाङ्कन बजट

लोक जागरण मञ्च

१-४-९८ से ३१-३-९९ तक की कालावधि के लिए 'शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम' के लिए लेखाङ्कन बजट

सन्दर्भ	लेखा शीर्षक	कार्यक्रम	अवधि	गणना	राशि (रुपये में)
१.	वरिष्ठ अध्यापकों को वेतन	अनौपचारिक शिक्षा	१२ माह	१००० रुपये X ८ अध्यापक	९६,०००
२.	नये अध्यापकों को वेतन	अनौपचारिक शिक्षा	१२ माह	८५० रुपये X ४ अध्यापक	४०,८००
६.	वैद्य को वृत्तिका	स्वास्थ्य	१२ माह	१००० रुपये X ८ वैद्य	९६,०००
८.	सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वेतन	स्वास्थ्य	१२ माह	५०० रुपये X ३ कार्यकर्ता	१८,०००
९.	परियोजना प्रबन्धक को वेतन	प्रशासन	१२ माह	३,००० रुपये	३६,०००
१०.	लेखाकार को वेतन (अनुभाजित)	प्रशासन	१२ माह	१,००० रुपये	१२,०००
	वेतन			उप - योग	२९८,८००
३.	अध्यापन सामग्री	अनौपचारिक शिक्षा	पूरे वर्ष के लिए	५०० रुपये X १२ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	६,०००
४.	बाल मेला भोजन	अनौपचारिक शिक्षा	एक बार	२० रुपये X ४५० बच्चे + १२ अध्यापक + १० अन्य	९,४४०
११.	डाक एवं लेखन सामग्री	अध्यापक	पूरे वर्ष के लिए	३०० रुपये X १२ माह	३,६००
	सामग्री			उप - योग	१९,०४०
७.	शासकीय चिकित्सकों के लिए जीप	स्वास्थ्य	दो बार	४५० रुपये X ४ दिन (३ गाँव प्रति दिन) X दो बार	३,६००
५.	बाल मेला परिवहन, मञ्च, पुरस्कार	अनौपचारिक शिक्षा	एक बार	४,००० रुपये लगभग	४,०००
	परिवहन			उप - योग	७,६००
१२.	अङ्केक्षण शुल्क	प्रशासन	एक बार	१,५०० रुपये X एक बार	१,५००
	शुल्क			उप - योग	१,५००

सारांश

रुपये

वेतन २९८,८००

सामग्री १९,०४०

परिवहन ७,६००

शुल्क १,५००

योग ३२६,९४०